रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016/फाल्गुन 26, 1937
No. 168] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/ PHALGUNA 26 , 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2016

सा.का.नि. 310 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 673 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट प्रारूप नियम जनसाधारण को उपलब्ध कराए गए थे तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 31 अगस्त, 2015 को उपलब्ध कराई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपनियम कहा गया है) में, नियम 1996 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) उपनियम (4) के खंड(i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् विनिर्मित, -

(i) इंजन क्षमता < 125 सीसी ;

(ii) अधिकतम निरंतर निर्धारित या शुद्ध शक्ति < 11 के डब्लू ; और

(iii) शक्ति/ भार अनुपात < 0.1 के डब्लू/के जी

सहित एल 2 प्रवर्ग के नए यान मॉडल में आई एस:14664 : 2010 के अनुरूप एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली या संयुक्त ब्रेकिंग प्रणाली लगाई जाएगी ;

(ख) 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् विनिर्मित,—

(i) इंजन क्षमता < 125 सीसी ;

(ii) अधिकतम निरंतर निर्धारित या शुद्ध शक्ति < 11 के डब्लू ; और

(iii) शक्ति/ भार अनुपात < 0.1 के डब्लू/के जी

सहित एल 2 प्रवर्ग के विद्यमान यान मॉडल में आई एस:14664 : 2010 के अनुरूप एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली या संयुक्त ब्रेकिंग प्रणाली लगाई जाएगी :

परंतु दो पहिया यानों के सभी अन्य प्रवर्ग जो खंड (क) और (ख) में ऊपर यथावर्णित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं उनमें 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् नए यान माडलों के लिए 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विद्यमान यान माडलों के लिए आई एस:14664 : 2010 के अनुरूप एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली या संयुक्त ब्रेकिंग प्रणाली लगाई जाएगी ।"।

[सं. आरटी- 11036/75/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 188(अ), तारीख 22 फरवरी 2016 को संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2016

G.S.R. 310(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 673(E), dated the 31st August, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st August, 2015;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 96, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4 A). Notwithstanding anything contained in clause (i) of sub-rule (4),—

(a) New vehicle models of category L2 with;

(i) engine capacity ≤ 125 cc;

(ii) maximum continuous rated or net power ≤ 11kw; and

(iii) power/weight ratio ≤ 0.1 kw/kg,

manufactured on and after the 1st April, 2018 shall be fitted with anti-lock braking system or combined braking system conforming to IS: 14664: 2010;

(b) Existing vehicle models of category L2 with :

(i) engine capacity ≤ 125 cc;

(ii) maximum continuous rated or net power ≤ 11kw; and

(iii) power/weight ratio ≤ 0.1 kw/kg,

manufactured on and after the 1st April, 2019 shall be fitted with anti-lock braking system or combined braking system conforming to IS: 14664: 2010:

Provided that all other category of two wheeled vehicles which does not fall in the criteria as mentioned above in clause (a) and (b) shall be fitted with anti-lock braking system conforming to IS: 14664: 2010 on and after the 1st April, 2018 for new vehicle models and on and after the 1st April, 2019 for existing vehicle models.".

[No. RT-11036/75/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number 188(E), dated 22nd February, 2016

IndiaCode

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.